अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

धूड़ाराम पुत्र आदाराम कौम कुम्हार, नि. धनवा तह. सिणधरी

बनाम

रमनलाल पुत्र मुकनाराम कौम कुम्हार नि. धनवा तह. सिणधरी, जि. बालोतरा

मुकदमा संख्या 43/2024

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
17.05.2024	यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री मंगलाराम चौधरी (सारण) अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान का. अधि. अधिनियम .... के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण /उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–प्रतिवादीगण/ विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 26.06.2024 को पेश हो। सहायक ... SDO सिणधरी	
26.6.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थीगण की तलबी बाबत का इंतजार। जरिये पत्रावली तारीख 25.7.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से वकील श्री जोगराज पोटलिया उपस्थित।

जोगराज वकील

प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस अपने आवेंदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उनके नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 361 रकबा 3.0418 हैक्टयर ग्राम धनवा तहसील सिणधरी जिला

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

10.9.24 पत्रावली ...

बालोतरा में आये हुए है। प्रार्थीगण को अपने उक्त खातेदारी का खेत नम्बर 361 से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 562/358 मौजा धनवा तहसील सिणधरी में से होकर गुजरना आवगमन हेतु इकलौता विकल्प बताया गया है, किंतु विप्रार्थीगण द्वारा भूमि अपनी खातेदारी मे होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में अवरोध पैदा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेत मे से परिशिष्ठ– अ अनुसार नये मार्ग कटाण घोषित करवाया जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए अपने मौखिक प्रकथन में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत इस्तदुआ प्रस्तुत करते हुए विप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी के खेत में नया रास्ता मांगा गया है, जबकि प्रार्थी के खातेदारी खेत की दूसरी तरफ निकटतम रास्ता उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में जब विप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ लागू नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थी को उसके खातेदारी एवं निवासरत भूमि मौजा धनवा के खसरा नम्बर 361 से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहा गया है, ऐसी स्थिति में मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किया जाना अदालत उचित समझती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत से मौजा धनवा के खेत खसरा नम्बर 361 से निकटतम सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु पक्षकारान के रूबरू मौका जांच करते हुए जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को रू. 500/– शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी आगामी पेशी से पूर्व पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें [illegible] जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट इंतजार हेतु आइन्दा नियत तिथि [illegible]3.08.2[illegible] को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

13.8.24 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उप। फौजदार सरकार उप।
मौका रिपोर्ट अप्राप्त/अतः इन्तजार हेतु पत्रावली
मिति 10.9.24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

10.9.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील उप. पैरोकार सरकार उप.

मौका रिपोर्ट अप्राप्त। अतः रिमाइंडर जारी कर

पत्रावली वास्ते 17.10.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

17.10.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील उप. पैरोकार सरकार उप.

मौका रिपोर्ट अप्राप्त। अतः रिमाइंडर जारी पत्रावली

वास्ते 28.11.24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

28.11.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील उप.।

मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई. पा. [illegible] [illegible] का।

[illegible] [illegible] [illegible] प्रस्ताव पर बहस मे

पत्रावली वास्ते 19.12.24 को पेश हो

19.12.24 : पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप.।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। चूंकि प्रार्थी की तरफ से उनके खातेदारी के खेत से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु नया रास्ता चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सिणधरी से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट निहित शर्तो के अनुसार तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन में पाया गया कि मौके पर आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट [illegible] अन्य वैकल्पिक तौर पर निकटतम एवं कम दूरी का [illegible] दो टुकड़ों में विभाजित किये बिना अलग से खसरा नम्बर 360 से ल[illegible] हुआ रास्ता कटाण अथवा नये रास्ते हेतु उपर्युक्त है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 361 मे से आगे चल रहे सड़क मार्ग तक नया रास्ता दिये जाने [illegible] अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रथम दृष्टया धारा 251 ए के तहत प्रस्तवित रास्ते से जोड़ने हेतु किसी खातेदार के प्रस्ताव पर सुखाचार के तहत निहित शर्तो अथवा दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत यह तथ्य आवश्यक ध्यान में रखने योग्य है कि–

- चाहे गये रास्ते की आवश्यकता की प्रमाणिकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

- आवागमन हेतु प्रस्तावित परिशिष्ठ के अलावा अन्य कोई मार्ग [illegible] है अथवा नही?
- प्रस्तावित रास्ते हेतु परिशिष्ठ के अनुसार जहां तक संभव हो कि [illegible] खातेदार के खेत के दौ हिस्सो में विभाजित नहीं हो, यदि आवश्यक हो तो किसी भी खेत में किनारे से लगले हुए भू–भाग को सम्मिलित किया जावे।

इसके साथ–साथ इस प्रकरण में विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने भी अपने मौखिक बहस के तथ्यों में कथन किया कि मौके पर रास्ते हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ अनुसार विप्रार्थी सं. 1 के खेत के बीच में चाहे जाने पर उसके खेत दो टूकड़े हो जायेगे, जो कि न्यायहित में उचित नहीं है, इसके विपरीत तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के तहत प्रार्थी द्वारा संशोधित सहित अपना आवेदन के तथ्यों के तहत नये सिरे से प्रकरण प्रस्तुत करे। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल द्वारा रास्ते के अधिकार के तहत लागू किये गये नये प्रावद्यान के तहत नियमानुसार जब प्रकरण के 90 दिनों में निस्तारित करना होता है, तो ऐसी स्थिति में जब विप्रार्थी से वर्तमान में कोई इस्तदूआ नहीं होने से प्रकरणा खारिज फरमाया जावे, तथा प्रार्थी वकील को निर्देशित किया जावे कि वे चाहे गये रास्ते के सन्दर्भ में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट के तथ्यों के अन्तर्गत नया आवेदन दायर किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जरिये चाहे गये रास्ते के रूप में सलंग्न परिशिष्ठ के अनुसार तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट में उसके विपरीत अन्य सुलभ मार्ग की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी अभिशंषा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की इस्तदुआ वर्तमान में आवेदन के विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रमाणिकता के तौर पर सिद्व नही कर पाती है, ऐसी स्थिति में जब आवेदन के प्रकृति एवं प्रवृति में अन्तर होने की दशा में प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है, कि प्रार्थी अपने आवेदन मे रास्ते के रूप मे उसकी आवश्यकता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अपना वाद संशोधित किये जाने का प्रावद्यान है, चूंकि प्रकरण [illegible] की मंशा एवं निर्दिष्ट नियमावली के तहत रास्तें [illegible] 90 दिन के भीतर– भीतर करना होता है, ऐसी स्थिति में [illegible] से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मूल इस्तदुआ में पूर्ण[illegible] मूल दावे कि समस्त कार्यवाही को शून्य से [illegible] नही होता है। इसके लिए प्रार्थी वकील का दायि[illegible] के तथ्यों एवं राजस्व ईकाई द्वारा संकलित किये गये प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपने माग एवं मंशा के अनुरूप नया वाद दायर करे। जिसके लिए वह स्वतंत्र है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन जो कि चाही गई इस्तदुआ के उलट सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करने लायक होने से तथा म्याद अवधि 90 दिन व्यतीत होने से इसी वाद मे सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से किया जाना विधिसम्मत एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों मे निहीत नहीं होने से खारिज किया जाता है, कि प्रार्थी [illegible] और से अपेक्षित पक्षकारों के विरूद्व नया वाद दायर करते हुए [illegible] तहत न्यायालय मे चाराजोही करे।

पत्रावली फैसल सुमार हो[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:06 IST
Reason: SelfAttested